न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 48/2008

1. धर्माराम पुत्र स्व0 सावलराम जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. शेराराम पुत्र पुत्र स्व0 सावलराम जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. मेहरसिंह पुत्र पुत्र स्व0 सावलराम जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. पतासी बेवा जगना जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. ओमप्रकाश पुत्र जगना जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र जगना जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. महासिह पुत्र जगना जाति जाट निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू ।
5. मु0 श्रवणी बेवा दलाराम जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
6. लालचंद दलाराम जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
7. अम्मीलाल दलाराम जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
8. मेहरचंन्द्र दलाराम जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
9. गुलाबचंन्द्र दलाराम जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।

10. मु0 विघा बेवा ईश्वरसिंह जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
11. विकास पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह नाबालिग जरिये माता संरक्षक मु0 विधा बेवा ईश्वरसिंह जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
12. राजवीर पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह नाबालिग जरिये माता संरक्षक मु0 विधा बेवा ईश्वरसिंह जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
13. बबीता पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह नाबालिग जरिये माता संरक्षक मु0 विधा बेवा ईश्वरसिंह जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
14. मामचंद पिसरान चन्द्रा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
15. प्रताप पिसरान चन्द्रा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
16. रणवीर पिसरान चन्द्रा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
17. रामसिंह पिसरान चन्द्रा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
18. फुलाराम पिसरान भूरा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
19. मेमनराम पिसरान भूरा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
20. मामराज पिसरान भूरा जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
21. धनसिंह पिसरान दीपचंद जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
22. महेन्द्रसिंह पिसरान दीपचंद जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू
23. प्रेमराज पिसरान दीपचंद जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
24. जयसिंह पिसरान दीपचंद जाति जाटान निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ चूरू
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री कानसिंह राठोड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चन्द्रभान अधिवक्ता रेस्पो0

न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2008 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—23.02.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2008 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 33, 34, 94, कुल तादादी 64.11 बीघा वाके रोही मोजा देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है का प्रतिवादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर रेस्पा0/वादीगण को गांव जयपुरिया पटटा के ख0न0 177 तादादी 34.17 व ख0न0 176 में से 6.17 बीघा रकबे पर रेस्पो0/वादी को खातेदार घोषित किया, ख0न0 176 के शेष रकबा 59.07 बीघा व देवीपुरा के ख0न0 33 तादादी 25.17, ख0न0 34 तादादी 12.17 बीघा, ख0न0 94 तादादी 26.07 कुल रकबा 123.18 बीघा में स 1/3 हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 9 व 1/3 हिस्से पर रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 10 से 13 तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 से 20 को खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की गयी जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 33 तादादी 25.17 बीघा, 34 तादादी 12.07 बीघा, 94 तादादी 26.07 बीघा कुल तादादी 64.11 बीघा वाके रोही मोजा देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है एवं ख0न0 176 तादादी 66.04 बीघा, ख0न0 177 तादादी 34.17 बीघा जयपुरिया पटटा में स्थित है जिसकी खातेदारी सुरजाराम के नाम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व चली आ रही है । स्व0 सुरजाराम के 4 पुत्र थे सावंलराम,भूराराम,जगनाराम व दालाराम हुऐ । वादगत कृषि भूमि में 44.02 बीघा देवीपुरा की रोही में सांवलराम को सुरजाराम के मृत्यु से पूर्व ही कृषि भूमि देकर अलग कर दिया गया । जिसका विवरण वाद में कही भी नही किया गया है कि वादगत कृषि भूमि सावंलराम की पैतृक भूमि है या स्वअर्जीत कृषि भूमि है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि के वाद सं0 166/01 अनुवारी पतासी बनाम मामचंद में ख0न0 176 तादादी 66.04 बीघा रोही जयपुरिया पटटा भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 4 मामंचद पुत्र चन्द्राराम आदि के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज की है । चूंकि मामंचन्द्र आदि सूरजाराम के वारिसान नही है । प्रतिवादी सं0 1 ता 4 मामंचन्द्र आदि स्व0

कानाराम के वारिसान है जो वादगत कृषि भूमि लेने के अधिकारी नही है का नाम हटाया जावे । वादगत कृषि भूमि ख0न0 177 तादादी 34.17 बीघा रोही ग्राम जयपुरिया पटटा में बंटवारें में लिये जाने से वादीगण का कोई अधिकार नही रहता है । अपीलांट के दादा सुरजाराम के चार लडके सांवलराम अपीलांट का पिता व भूराराम, जगनाराम व दालाराम हुऐ । अपीलांट सं0 1 ता 3 सांवलराम के वारिसान, रेस्पो0/वादी 1ता 4 जगनाराम के वारिस तथा रेस्पो0/प्रतिवादी 4 ता 8 दालाराम के वारिस व अन्य भूराराम के वारिसान है । अपीलांट के दादा सुरजाराम की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से जागीरदारी से हासिल कब्जे काश्त की भूमि पर समस्त खेतो में अपीलांट का संयुक्त हिन्दु परिवार के मुताबिक कानूनी विरासतन अधिकार कायम होता है तथा वह 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वादगत कृषि भूमि में पक्षकार न बनाकर एकतरफा निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर कानूनी भूल की है जो खारिज योग्य है । अपीलांट का पिता सांवलराम विरासतन हिन्दु उतराधिकारी कानून व प्राकृतिक न्याय से जन्म से कानूनी अधिकार रखता है प्रथम दृष्टया खातेदार काश्तकार भूमि हो चुका है । वह अपना हिस्सा किसी भी प्रकार विक्रय रहन वसियत तथा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही किया है । देवीपुरा की रोही में 44.02 बीघा भूमि सांवलराम को किसने दी वाद में कंही साबित नही किया गया है । सांवलाराम की यह भूमि स्वयं अर्जित भी हो सकती है फिर किस प्रकार से इस दावा व निर्णय में सांवलाराम के वारिसान को सूनवाई का अवसर नही दिया गया व पक्षकार क्यों नही बनाया गया । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2008 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष द्वारा अपीलांट पक्ष के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 33 तादादी 25.17 बीघा, 34 तादादी 12.07 बीघा, 94 तादादी 26.07 बीघा कुल तादादी 64.11 बीघा वाके रोही मोजा देवीपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है एवं ख0न0 176 तादादी 66.04 बीघा, ख0न0 177 तादादी 34.17 बीघा जयपुरिया पटटा में स्थित है जिसकी खातेदारी सुरजाराम के नाम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व चली आ रही है । स्व0 सुरजाराम के 4 पुत्र थे सावंलराम,भूराराम,जगनाराम व दालाराम हुऐ । वादगत कृषि भूमि में 44.02 बीघा देवीपुरा की रोही में सांवलराम को सुरजाराम के मृत्यु से पूर्व ही कृषि भूमि देकर अलग कर दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि के वाद सं0 166/01 अनुवारी पतासी बनाम मामचंद में ख0न0 176 तादादी 66.04 बीघा रोही जयपुरिया पटटा भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 4 मामंचद पुत्र चन्द्राराम आदि के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज की है क्योंकि मामचन्द्र के पिता चन्द्राराम व चन्द्राराम के पिता कानाराम की मृत्यु हो जाने पर चन्द्राराम का

भरणपोषण सुरजाराम के द्वारा किये जाने व कानाराम की संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि सुरजाराम के नाम होने से कानाराम के वारिसान वादगत भूमि में बहिस्सा बराबर के हकदार बने । इस तरह से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 मामंचन्द्र आदि स्व0 कानाराम के वारिसान है जो वादगत कृषि भूमि लेने के अधिकारी बने है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 177 तादादी 34.17 बीघा रोही ग्राम जयपुरिया पटटा में बंटवारें में लिये जाने से वादीगण जगनाराम पुत्र सुरजाराम के वारिसान होने के कारण सुरजाराम की पैतृक भूमि में बहिस्सा बराकर के हकदार रहते है । अपीलांट के दादा सुरजाराम के चार लडके सांवलराम अपीलांट का पिता व भूराराम, जगनाराम व दालाराम हुऐ । अपीलांट सं0 1 ता 3 सांवलराम के वारिसान, रेस्पो0/वादी 1ता 4 जगनाराम के वारिस तथा रेस्पो0/प्रतिवादी 4 ता 8 दालाराम के वारिस व अन्य भूराराम के वारिसान है । अपीलांट के पिता को उनके दादा सुरजाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से जागीरदारी से हासिल कब्जे काश्त की भूमि में से 44.02 बीघा भूमि देकर पूर्व में ही अलग कर दिया था तब से लेकर वाद के डिक्री होने तक अपीलांट द्वारा किसी भी तरह का कोई कानूनी पक्ष न्यायालय में पेश नही किया क्यों कि अपीलांट के पिता सांवलाराम अपने हिस्से की भूमि पूर्व में ही लेकर अलग हो गये थे शेष रही वादगत भूमि में उनका कोई हक हिस्सा नही रह जाता है । प्रतिवादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर रेस्पो0/वादीगण को गांव जयपुरिया पटटा के ख0न0 177 तादादी 34.17 व ख0न0 176 में से 6.17 बीघा रकबे पर रेस्पो0/वादी को खातेदार घोषित किया, ख0न0 176 के शेष रकबा 59.07 बीघा व देवीपुरा के ख0न0 33 तादादी 25.17, ख0न0 34 तादादी 12.17 बीघा, ख0न0 94 तादादी 26.07 कुल रकबा 123.18 बीघा में से 1/3 हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 9 व 1/3 हिस्से पर रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 10 से 13 तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 से 20 को खातेदार घोषित कर डिक्री किया गया है जो कानून सम्मत है । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2008 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट रेस्पो0 की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि सुरजाराम के चार पुत्र थे सांवलराम, भुराराम, जगनाराम व दालाराम । सुरजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही सांवलराम को ग्राम देवीपुरा की 44.02 बीघा भूमि देकर अलग कर दिया था जिसका खंडन नही किया गया है और अपीलांट द्वारा विवादित भूमि सांवलराम के स्वयं के द्वारा क्रय करने का कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया है व उपखण्ड अधिकारी के वाद सं0 2/01 व 166/01 में निर्णित किया गया जिससे यह साबित है कि यह भूमि पैतृक भूमि रही है । उदा के दो संतान थी सुरजाराम व कानाराम । कानाराम चन्द्राराम आदि का पिता था जिसकी मृत्यु चन्द्राराम आदि के बाल्यावस्था में हो गयी थी । स्व0 कानाराम के वारिसान का भरणपोषण सुरजाराम के द्वारा किया गया

था । सुरजाराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण सं0 81 दिनांक 28.06.65 के द्वारा वादगत भूमि का नामान्तरकरण भूरा, जगना के वारिस एवं दाला व चन्द्रा के नाम दर्ज हुए है । जमाबंदी संम्वत 2023 से 2036 में भी सुरजाराम के मरने के बाद वादगत कृषि भूमि भूरा, जगना, दाला व चन्द्रा के नाम दर्ज हुई । जिस कारण से कानाराम के वारिसान को विवादित भूमि में हिस्सा दिया गया है जिसका विरोध सांवलराम के अलावा अन्य किसी भाईयों द्वारा नही किया गया है । इससे यह प्रतित होता है कि कानाराम के वारिस वादगत भूमि में अपना हक हिस्सा रखते है । वादगत ख0न0 177 का 34.17 बीघा एवं ख0न0 176 में से 6.17 बीघा जगनाराम के वारिसान को देकर ख0न0 176 की शेष रकबा 59.07 बीघा तथा ग्राम देवीपुरा के ख0न0 33 तादादी 25.17 बीघा ख0न0 34 तादादी 12.07 बीघा ख0न0 94 तादादी 26.07 बीघा कुल तादादी 123.18 बीघा में से 1/3 हिस्सा दालाराम व ईश्वरसिंह के वारिसान को 1/3 हिस्सा कानाराम के वारिसान को तथा शेष 1/3 हिस्सा भूराराम के वारिसान को दे दिया गया जो उचित प्रतित होता है । इसके अलावा अपीलांट अधिनसथ न्यायालय के दावे में पक्षकार नही रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 96 के तहत यदि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होता है तो वह अपील दायर नही कर सकता एवम अपीलांट वादगत भूमि में खातेदार भी नही रहा है अपीलांट द्वारा पूर्व में दायर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 का दावा दिनांक 24.07.86 को खारिज हो चुका है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे विधिवत तनकियात कायम कर नियमानुसार उनका निस्तारण कर निर्णय पारित किया गया है जिस पर कोई खामी नजर नही आती है और ना ही कोई ऱद्वोबदल करने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2008 को यथावत रखा जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 23.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर